

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एक 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 19-01-2018

अतिरिक्त आवंटन आदेश माह जनवरी, 2018
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)


खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आवंटन आदेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा माह जनवरी, 2018 के आवंटन आदेश पश्चात् विभाग में जिला अजमेर एवं सवाईमाधोपुर से प्राप्त अतिरिक्त मांग के आधार पर माह जनवरी, 2018 हेतु निम्नानुसार गेहूँ का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम जिला	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन में)
1	अजमेर	194.435
2	सवाईमाधोपुर	400
	योग	594.435

यह अतिरिक्त आवंटन उक्त जिलों में दिसम्बर माह के अतिरिक्त आवंटन के अपरिहार्य कारणों से उठाव नहीं होने तथा उक्त मात्रा समर्पित होने के आधार पर किया जा रहा है।

उक्त आवंटन निम्न शर्तों के अध्वधीन होगा:-


1. जिलों द्वारा जनवरी माह हेतु चाहे गये अतिरिक्त आवंटन के संबंध में उपआवंटन हेतु उचित मूल्य दुकानवार ऑपनिग बैलेंस, आवश्यक आवंटन, जिला स्तर से किये गये आवंटन एवं राज्य स्तर के आवंटन के अन्तर की स्पष्ट सूचना 31 जनवरी, 2018 तक भिजवाई जावे।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में माह सितम्बर से माह दिसम्बर, 2017 तक नये जोड़े गये नामों की तिथिवार पूर्ण सूची 31 जनवरी, 2018 तक भिजवाये ताकि आवंटन के विपरीत पात्रता का परीक्षण किया जा सके।
3. उक्त शर्तों की पालना में जिलेवार पूर्व आवंटन एवं अतिरिक्त आवंटन के योग के मिलान पश्चात् वास्तविक आवश्यक गेहूँ से अन्तर मात्रा आगामी माहों के आवंटन में समायोजन योग्य होगी।


(अंजू राजपाल)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर, अजमेर एवं सवाईमाधोपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. जिला रसद अधिकारी, अजमेर एवं सवाईमाधोपुर।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।


उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव